ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Question No. 221

[The questioner (Shri Sukhdev Singh Libra) was absent. For answer *vide* pages 26 infra.]

THE DEPUTY-CHAIRMAN: Question No. 222.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, Question Nos. 222 and 224 can be clubbed.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That deals with smuggling of narcotic substances.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, we can do that. But, Mr. Rama Muni Reddy should be there to put his question. Is he there? No, he is not there. Okay, we will take up only Question No. 222.

Utilisation of seized narcotics

*222. SHRI K. KALAVENKATA RAO: Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Narcotics Control Bureau (NCB) lights up narcotics seized by it; and

(b) if so, the reasons for not utilizing some of them like Ganja for manufacturing medicinal drugs under Government supervision?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir. Seized narcotic drugs, other than opium, morphine, codein and thebaine, are destroyed.

(b) Seized opium, morphine, codein and thebaine are utilized for extraction of alkaloids for medicinal and scientific use. Ganja does not have any utility for manufacturing medicinal drugs.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Madam, my first supplementary is this. On June 26, 2002, about 450 kgs. of seized drugs, worth Rs. 10 crores, were lit by the Delhi Unit of the Narcotic Control Bureau. The burning caused a lot of pollution. I would like to know whether the Government would consider some alternative measures to utilise the seized Ganja and Heroin which are also used for medicinal purposes as

pain-killers, etc. Cannot we utilise them for drug manufacturing under Government agencies?

SHRI JASWANT SINGH: Madam, it is not medically established that Ganja or any derivative from Ganja can be utilised. Therefore, successive Government have felt that it is best destroyed. It cannot be put to medicinal use. Nor can any medicinal derivative be obtained from it.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Do the government ensure that some part of the seized drugs do not reach the illicit trafficking market for drug abuse?

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I do not know if have got the question quite right. But it relates to drug abuse. So far as India is *concerned, the factor of drug abuse has a very different connotation, as it* has to, from particularly the developed western world. In our case, most of the addiction is limited to Opium or Ganja or Hashish. Over the years, ?cially, there is only limited acceptability in other than urban centres, of psychotropic drugs or derivatives of Opium, etc. But there is the addiction of problem. But the State and the society deal with it. There are very severe and stringent laws in this regard that have been introduced. For example, the NDPS Act is a very stringent Act whereby even the possession of a small quantity of Opium or such a drug invites a very severe penalty. these are legislative measures that are taken to discourage the tendency. The society also plays a role, perhaps a stronger one, in this.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I would like to know from the hon. Minister how much quantity we realy need of this Opium, Morphine, Codein and Thebaine for our medical purposes. And how do you meet that demand? Do we meet that demand from seizures or do we produce these substances, or, do we have much more substance due to smuggling? What kind of planning is there? If we have still much more quantity of these substances, what do we do with those substances? Dou you destroy them or do you export them, because there is a complete confusion about the handling of these items?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, it is a fair question, but, an unfair observation that there is a complete confusion. There is, in fact, not complete confusion. India is amongst the few countries in the world, where

opium production is illicit. It is true that the Government controls these substances, and through the Government, pattas are granted. There are three States of the Union, where opium is cultivated, that is, Rajasthan, Madhya Pradesh and parts of Uttar Pradesh. The total production of opium, on an average, depending on yield etc., Mannually, is about 1,000 tonnes. But, it varies, and the figure that I have given of 1,000 tonnes, can of course, not be a figure that obtains every year, because, this is a fluctuating thing. On an average, India exports about 400 tonnes to 500 tonnes of opium; export it to Europe, and to the United States of America principally for pharmaceutical uses. There is a certain limited requirement in India for pharamaceutical uses. We have, therefore, every year, a carry forward stock of a certain amount of residual opium. I am not giving you the exact figure, though if you are interested, I can always sent the exact last ounce account to you, as is available. We have roughly about 1,700 tonnes of stored opium. We have two factories, where opium is purified. One is in Madhya Pradesh at Neemuch, and the other is in Uttar Pradesh at Gazi. We have only recently started a project — started in the sense — that have required the Department to immediately commission a study. These are very old factories which were established during the British days, and have really run out of their purpose, other than really collecting opium, purifying it, storing it, weighing it, etc. So, how to modernise these factories so that the opium can be used by us for production of alkaloids or for such other pharamceutial requirements? The project report will be prepared for that, and I am sure, we will be able to meet the cost of setting up of these factories internally, from within the Finance Ministry, it necesary, with joint participation with one our pharamaceutical companies in India.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Madam, the police and the various authorities constituted under the Act, are seizing opium, morphine, codein, thebaine, and other substances, and they have been destroying the same by setting them on fire. After seizure, these substances are sent to court to prove the case. I would like to know whether-after sending these substances to the court for the disposal of the cases-the authorities get back those materials from the custody of the court, and use those substances for the preparation of medicines or not.

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I must disabuse the mind of the hon. Member of the notion that the court keeps the seized drugs. The court has no use for the seized drugs like heroin. In the Court it is produced

only as evidence. It is not only the police which is only a part of it. There is the Narcotics Control Bureau of the Government, and we also have a full-fledged administration in this regard. Do these drugs come back? Of course, they come back to the Finance Ministry, to the Narcotics Control Bureau, and others, and they have been utilised in a manner that is required or are set on fire to end this problem.

उपसभापति: श्री बालकवि बैरागी, इस पर तो आपको बोलना ही बोलना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' : दोनों ही मौजूद हैं, उनका ऐक्सपर्ट ओपीनियन तो ले ही लिया जाए।

उपसभापति: जो पैदा करते हैं पहले उनकी तो बात हो जाए।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': मंदसौर वाले ज्यादा उगाते हैं।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपके से ''ए'' और ''बी'' के रूप में दो प्रश्न करना चाहूंगा। यह खुशकिस्मती की बात है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय चित्तौड़ से लम्बे वर्षों तक उस सदन में बैठते रहे और मंत्री महोदय जानते हैं कि मन्दसौर, नीमच, चितौड़ सारे देश में अफीम का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। जैसा आपने अभी बताया कि देश में एक हजार टन अफीम पैदा होती है। तो जो मेरा क्षेत्र नीमच और मन्दसौर है उस क्षेत्र में इस एक हजार टन का बहुत बड़ा हिस्सा पैदा होता है, सर्वाधिक हम लोग पैदा करते हैं। मैं आपसे मुख्य रूप से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। जब कभी अफीम का सीज़न होता है, जैसा आपने अभी बताया कि अफीम की आप पकड़े जाने के बाद नष्ट नहीं करते हैं। उसके बाद समाचार बनते हैं, खासकर हेरोइन को लेकर। पांच किलो अफीम में से एक किलो बन जाती है, ऐसा सामान्य रूपेण पाया जाता है। काले बाजार में खरीद कर के पांच किलो अफीम का हेरोइन बनाया जाए तो करीब 80 हजार रूपये में खेत की मेड़ पर तैयार हो जाता है। फिर आपका विभाग, एन॰डी॰पी॰एस॰ वाले लोग, हमारी नार्केटिक्स वाले लोग छापते हैं कि अंतराष्ट्रीय मूल्यों पर एक करोड़ रूपये की हेरोइन पकड़ी गयी। जब आप पांच किलो का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक करोड़ रुपये बता देते हैं तो वहां स्मग्लिंग को प्रोत्साहन मिलता है और कई लोग इस धंधे में लग जाते हैं। क्या आपके विभाग ने इस पर कभी विचार किया कि इस पब्लिसिटी को रोका जाए वरना वहां पर लोग इस काम में लगे हुए हैं। मेरे प्रश्न का खंड ''अ'' यह है। दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि...

उपसभापति: एक जवाब तो हो जाने दीजिए। इतनी देर में वह पहले सवाल का जवाब दे देंगे। ...(**व्यवधान**)... आप इसी से जुड़ा हुआ कह दीजिए।

श्री बालकवि बैरागी: महोदया, इस मामले में तो जसवंत सिंह जी को हम लोगों के साथ बैठकर लम्बी बात करनी चाहिए, उनकी ओर से प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान, मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं, आप खुद इससे अवगत हैं इसलिए जानना चाहता हूं एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के कारण, उसकी शक्तियों के कारण, उनकी निरर्थक शक्तियों के कारण आज कम से कम चार सौ से लेकर सात सौ किसान निरर्थक रूप से नीमच, मन्दसौर, कनावदी और चित्तौड़ की जेलों में बंद पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है और उन निर्दोष किसानों को बाहर लाने का आपके पास कोई तरीका है? वरना उस कानून के अंतर्गत तो वे दस-दस साल से पहले कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। इसलिए मेरी इन दो बातों के लिए अगर आप सदन को आश्वस्त कर देंगे तो बहुत कृपा होगी और मैं मानूंगा कि आप हमारी बड़ी सहायता करेंगे।

श्री जसवंत सिंह: महोदया, माननीय सदस्य के दोनों प्रश्नों का मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने कहा, उसमें उन्होंने विभाग को दोषी ठहराया। उन्होंने कुछ आंकड़े दिये कि एक किलो हेरोइन के लिए पांच किलो अफीम की जरूरत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग उन आंकड़ों में न जाएं तो अच्छा है। कहां कितनी अफीम लगने से कितनी हेरोइन तैयार होती है, उसके संबंध में न तो आप विशेषज्ञ हैं और न ही मैं विशेषज्ञ हूं। जो इसके विशेषज्ञ हैं, वे ही इसे देख सकते हैं। दूसरा जो आपका पहलू है कि उसी चीज को बड़े सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। यह बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं। कुछ दोष तो इसमें विभाग का है, मैं मानता हूं और कुछ दोष हो सकता है कि उस बिरादरी का है जो खबरें छापती है क्योंकि जब तक सनसनीखेज खबर नहीं होगी तब तक वह खबर बनी ही क्या? इसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूं कि पांच किलो अफीम पकड़ी गई और उसकी न्यूयार्क के भाव से तुलना करके कहना, पकड़ी जाए किसी गांव में, मंदसौर, चित्तौड़, भीलवाड़ा इत्यादि में, कहां मंदसौर कहां न्यूयार्क? कहां वह भाव, कहां यह भाव? कोई तुक नहीं बैठती है। यह सही बात है कि इसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। हम अपने विभाग की ओर से प्रयत्न करेंगे कि ऐसा न हो।

दूसरा आपने एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत पकड़े गए लोगों के बारे में कहा है, इसमें भी बड़ी दुविधा है। यहां करो तो मरो, न करो तो मरो। ....(**व्यवधान**).....

श्री बालकवि बैरागी: बगैर कुछ किए हमारे किसान मर रहे है।

श्री जसवंत सिंह: इसीलिए आप सुन लें मेरी बात। ऐसा ऐक्ट न हो, यह उचित नहीं है। ड्रग्ज कंट्रोल के लिए ऐक्ट होना बहुत आवश्यक है। यह ऐक्ट उस दिशा में कदम है। निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं, कई बड़े-बड़े दोषी बच कर निकल जाते हैं, यह भी सही बात है और इसमें यह भी सही है

कि जो काश्तकार है, उसके पास यदि थोड़ी मात्रा में भी अफीम पाई गई और किसी की अदावदी गांव में है तो वह शिकायत कर देता है उस अदावदी के तहत। पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, तंग करेगी, दो साल, तीन साल दुखी करेगी। उसका समाधान मात्र मंत्रालय में नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: महोदय, यह दस साल है, कम कभी नहीं होता है।

श्री जसवंत सिंह: मेरी बात सुन लें। मैं सोचता हूं कि एन॰डी॰पी॰एस॰ ऐक्ट के दुरुपयोग के बारे में सांसद और संसद यदि विचार करे, तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे। अपने आप में विभाग उस ओर कुछ नहीं कर पाएगा, यह मेरी विवशता है।

श्री कलराज मिश्र: माननीय उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दौरान यह कहा कि नीमच और गाज़ीपुर में, दो जगहों पर ओपियम फैक्ट्रियां हैं और वे बहुत ही पुरानी हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसके मॉडर्नाइज़ेशन के लिए, आधुनिकतम जो उपकरण हैं, अधिक से अधिक लग सकें, इसकी दृष्टि से भी प्रयत्न किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि गाज़ीपुर में जो बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है, वह मृतप्राय सी लगती है। वहां के कर्मचारियों को भी निकाला जाता है। क्या जो मॉडर्नाइज़ेशन की बात कही है आपने, मॉडर्नाइज़ेशन के साथ ही साथ उसका विस्तारीकरण करने की दृष्टि से आप विचार करेंगे? क्या उसका कोई प्रारूप सामने है? अगर है तो उसकी समय-सीमा क्या निर्धारित हो सकती है?

श्री जसवंत सिंह: महोदया, यह उचित प्रश्न है। दोनों ही पुरानी फैक्ट्रियां हैं, अंग्रेजों के जमाने से लगी हुई हैं और अंग्रेजों के जमाने में भी जब चीन के ओपियम वार हुए, उससे पहले जो अफीम का धंधा होता था, उन दिनों से भी पुरानी हैं। केवल नाम फैक्ट्री है, फैक्ट्री में होता क्या था पहले? अफीम लाया जाता था, उसको तोला जाता था और रखा जाता था। इससे ज्यादा वहां फैक्ट्रीनुमा कोई काम नहीं होता था। उसके बाद थोड़ा बढ़ा। मुझे तो हाल ही में इस मंत्रालय का काम सुपुर्द हुआ है और सुपुर्द होने के बाद ही हमने कहा कि ये जो दो फैक्ट्रियां हैं, इनका सही उपयोग नहीं हो रहा है और हमारे पास जैसे हम सालाना अफीम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से भी अगर हम बीस-पच्चीस करोड़ रुपया काट कर उन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण में लगा देंगे तो हमें किसी के आगे हाथ बढ़ाकर आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी और अगर हम आधुनिकीकरण नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप काश्तकार को जो भाव मिलता है, उसमें उनको बीस-पच्चीस रुपया ज्यादा ही मिलेगा कम नहीं मिलेगा। तो हिसाब से हमने अभी-अभी इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कहा है। विभाग की ओर से इस पर काम शुरू हो गया है। आपने

कहा कि क्या गाजीपुर की कायाकल्प होगी, हमारा प्रयत्न तो है कि कायाकल्प हो, मेरे पास दूसरा तो कोई इलाज है नहीं। कितनी समय-सीमा है, एक बार प्रोजेक्ट बन जाए तब मैं आपको समय सीमा के बारे मे बताऊंगा।

श्री कलराज मिश्र: इसके बारे में कई बार आश्वासन दिया गया है, इसलिए मैंने समय-सीमा के बारे में पूछा है।

श्री जसवंत सिंह: आपका पूछना उचित है, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाए तब निश्चित रूप समय-सीमा के बारे में बता देंगे।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: महोदय, नारकोटिक्स के संबंध में जो सवाल है, इसकी बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार रोड पर जाएं तो पाएंगे कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ गांजा और अफीम के बड़े पैमाने पर, लाखों, करोड़ों की तादाद में पौधे हैं। अब से बढ़कर खासतौर से पश्चिमी उत्तर से मध्य उत्तर प्रदेश के इंटीरियर के गांव तक पहुंच गये हैं और कुछ तथाकथित जहां साधू रहते हैं, वहां पर अनिवार्य रूप से ये पौधे खड़े रहते हैं। नई पीढ़ी के लड़कों को बिना पैसे के सड़क पर गांजा और भांग के पौधे मिल जाते हैं जिससे वे पत्ते तोड़कर चिलम पीते हैं। क्या एनसीबी के लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान दिया है? आप गाजियाबाद चलिए और देखिए, आपको वहां सड़क के आसपास हजारों की संख्या में गांजा और भांग के पौधे मिल जाएंगे। सारी जनरेशन नशे की आदि हो रही है। इसको नष्ट करने के लिए एनसीबी क्या कोई उपाए कर रही है या नहीं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने कहा है कि गाजियाबाद से आगे हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते पर सड़क के दोनों किनारे गांजा निश्चितरूप से होगा। अभी हाल ही में मुझे इस रास्ते पर जाने का अवसर नहीं मिला है। यदि आप कह रहे हैं तो निश्चितरूप से वहां गांजा और भांग होगी। अफीम का जो पौधा है, वह अलग बात है। मैं अफीम के बारे में नहीं कहता। मुझे गांजा, भांग का इतना परिचय नहीं है, कैसे उगता है, क्या होता है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: मंत्री जी ने कभी इस्तेमाल नही किया है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने कहा है, यह वास्तव में सामाजिक समस्या है। यदि नवयुवकों के पास आवश्यकता से पांच पैसे भी अधिक हैं, आजकल की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई कि वे इस रास्ते पर जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: साधू भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवंत सिंह: साधुओं का यह कहना है कि इसका इस्तेमाल करने से उन्हें अपने ध्यान मग्न रहने में सरलता रहती है। उनकी सुविधा के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह बात सही है और गलत रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में कदम उठाएंगे।

उपसभापति: यदि इससे कुछ फायदा होता है तो हाउस में भी इस्तेमाल कर लीजिए।

Now, you have put too many questions. I move on to the next question. It is a very important question. पानी का क्वेश्चन है।

अधिकतम/न्यूनतम वर्षा जल वाले क्षेत्र

*223. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दशक के दौरान देश में न्यूनतम और अधिकतम वर्षा जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये क्षेत्र संबंधित राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने-कितने प्रतिशत हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्षा के मापन और विश्लेषण के प्रयोजन से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश को 36 मौसम वैज्ञानिक उप प्रभागों में विभाजित किया है। इन प्रभागों की प्रकृति जलवायवीय रूप से समान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दशक (वर्ष 1992 से वर्ष 2001 तक) के दौरान सामान्य वर्षा से कम वर्षा वाले (अर्थात् सामान्य वर्षा से 19% कम वर्षा) तथा अधिक वर्षा वाले (अर्थात् सामान्य से 20% या उससे अधिक वर्षा) मौसम वैज्ञानिक उप प्रभागों सहित संबंधित राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से इन क्षेत्रों का प्रतिशत संलग्न तालिका में दिया गया है।